न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : बजरंग लाल स्वामी , आर.ए.एस.
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2012/00046
अपील संख्या :– 21/2012

1. मु0 सुन्दरी बेवा भवरिया उर्फ भंवरीलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम कांट, तहसील आमेर, जिला जयपुर। (नाम हजफ)
2. महादेव पुत्र भंवरी लाल
3. शंकर पुत्र भंवरी लाल
4. सीताराम पुत्र भंवरी लाल
5. श्रवण पुत्र भवंरी लाल
6. रामकरण पुत्र भंवरी लाल

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम कांट, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

– – – **अपीलान्टस**

बनाम

1. श्रीमति रामप्यारी देवी बेवा प्रभात, जाति मीणा, निवासी ग्राम कांट, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. श्रीमति सोनी देवी पुत्री प्रभात, जाति मीणा, निवासी ग्राम गुणावता, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 207 दिनांक 27.09.2012 जो ग्राम पंचायत कांट, तहसील आमेर, जिला जयपुर द्वारा तस्दीक किया गया के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः 16.04.2025

संक्षेप्त में अपील अपीलार्थी ने अपील इस आशय की पेश की है कि योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत कांट, तहसील आमेर, जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत कांट, तहसील आमेर, जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश परवर्ष आर्बीट्रेरी एवम् कान्ट्रेरी टूँ ला होने से निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत कांट, तहसील आमेर, जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व न्याय की मंशा के विपरित पारित किया गया होने से निरस्तनीय है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 408 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 410/1355 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 531/1373 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 568 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 569 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 572 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 640/1390 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा

उप खण्ड अधिकारी
आमेर जयपुर

नम्बर 644 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 645 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 692 रकबा 2.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 774 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 826 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 827 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 828 रकबा 1.09 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल रकबा 7.17 हैक्टयर वाकै ग्राम कांट, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है। कृषि भूमि जो अपीलान्टस की खानदानी पैत्रिक कृषि भूमि है जिस पर अपीलान्टस बहैसियत खातेदार काश्तकार कृषि करते आ रहे है तथा अपीलान्टस के पूर्व में अपीलान्टस के पूर्व हकधारी श्री भंवरीया उर्फ भंवरी लाल पुत्र धोकल कृषि करते रहे तथा अपनी उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। रेस्पोडेन्ट न. 1 पति व रेस्पोडेन्ट न. 2 के पिता प्रभात पुत्र बिरदू का भूमि विवादग्रस्त पर कतई कोई हक व अधिकार कभी भी नही रहा तथा न ही उनका कभी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त ही रहा, लेकिन उन्होंने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलकर बिना किसी आधार व अधिकार के भूमि विवादग्रस्त के राजस्व रिकार्ड मे प्रभात पुत्र धोकल बन कर 1/2 भाग की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाली, जिसका उनको कतई हक व अधिकार नही है। रेस्पोडेन्ट न. 1 के पति व रेस्पोडेन्ट न. 2 के पिता प्रभात जो कि बिरदू मीणा का पुत्र है तथा बिरदू मीणा के पुत्र की बैहैसियत से ही उसका वोटर लिस्ट में नाम है तथा प्रभात पुत्र बिरदा की बैहैसियत से ही कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 637, 640, 898/422, 905/1531, 951, 953/1427, 954, 967, 968 कुल किता 9 कुल रकबा 1.47 हैक्टयर वाके ग्राम कांट, तहसील आमेर जिला जयपुर मे स्थित है। उक्त सम्पति रेस्पोडेन्ट न. 1 के पति व रेस्पोडेन्ट न. 2 के पिता स्व श्री प्रभात ने अपने पिता बिरदा उर्फ बिरदू की विरासत से प्राप्त की है तथा रेस्पोडेन्ट न. 1 के पति व रेस्पोडेन्ट न. 2 के पिता स्व श्री प्रभात का स्व० श्री धोंकल की विरासत से किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है, लेकिन रेस्पोडेन्ट न. 1 के पति व रेस्पोडेन्ट न. 2 के पिता स्व श्री प्रभात ने अपने स्व० पिता श्री बिरदा उर्फ बिरदू पुत्र रामला की विरासत प्राप्त करने के पश्चात् भी अवैध रूप से धोंकल पुत्र मोती का पुत्र बनकर अपना नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा लिया, रेस्पोडेन्ट न. 1 के पति व रेस्पोडेन्ट न. 2 के पिता स्व श्री प्रभात का उक्त कार्य कानूनी प्रावधानों के विपरित है जिसका कानूनी रूप से कतई कोई महत्व नही है। अपीलान्टस सम्पूर्ण भूमि विवादग्रस्त पर अपने पूर्व हकधारियों के समय से ही शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है तथा भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा रेस्पोडेन्ट न. 1 के पति व रेस्पोडेन्ट न. 2 के पिता स्व श्री प्रभात अपने पिता श्री बिरदा उर्फ बिरदू से प्राप्त अन्य कृषि भूमियों पर कृषि करता रहा है। अपीलान्टस भूमि विवादग्रस्त पर मय परिवार के मकानात, बाडे आदि बनाकर निवास करते आ रहे है व कृषि करके अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करते चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट न. 1 के पति व रेस्पोडेन्ट न. 2 के पिता स्व0 श्री प्रभात ने अपीलान्टस को भूमि विवादग्रस्त के कब्जे काश्त में कभी भी पूर्व में दखल देने का प्रयास नही किया न ही कभी किसी प्रकार से कोई बेदखली की कोई कार्यवाही ही की, लेकिन अभी हाल ही मे जयपुर के आस पास के क्षेत्रों में जमीनों के भाव अचानक बढ जाने व भू माफिया के सक्रिय हो जाने के कारण भू माफिया गिरोह के बहकावे में आने के कारण रेस्पोडेन्टस न. 1 व 2 की नियत में बेईमानी उत्पन्न हो गई तथा वह अब नाजायज रूप से कानूनी प्रावधानों के विपरित विवादग्रस्त भूमि को हड़प करना चाहती है तथा अपीलान्टस के हको से अपीलान्टस को महरूम करना चाहती है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस के मध्य उपरोक्त वर्णित विवादग्रस्त

उप खण्ड अधिकारी

सम्पति के सम्बन्ध मे श्रीमान माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु० जयपुर के समक्ष एक नियमित वाद उनवानी मु० सुन्दरी व अन्य बनाम प्रभात व अन्य बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात, घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन था, उक्त वाद के विचाराधीन होने के सम्बन्ध में अधिनस्थ ग्राम पंचायत व रेस्पोडेन्टस को पूर्ण रूप से जानकारी थी, लेकिन अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने माननीय राजस्व न्यायालय मे नियमित वाद विचाराधीन रहते हुए अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। नियमित वाद मे रेस्पोडेन्ट स्वयं का कथन है कि वे मीणा जाति अनुसुचित जनजाति के सदस्य है तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते इसलिए रेस्पोडेन्ट के कथनानुसार ही हिन्दू विधि के प्रावधानों के अनुसार तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामान्तरण स्वतः ही अवैध हो जाता है, इसलिए भी अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है। विधि का यह सर्वोमान्य सिद्वान्त नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए उसी भूमि के सम्बन्ध में कोई भी नया नामान्तरण खोला जाना विधि सम्मत नही है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत को उक्त तथ्यों कि पूर्ण रूप से जानकारी थी कि स्व० श्री प्रभात, स्व० श्री बिरदा पुत्र रामला के गोद चला गया था तथा श्री बिरदा की सम्पति का ही बहैसियत पुत्र मालिक हो गया था। इसलिए दत्तक चले जाने के कारण श्री प्रभात का अपने प्राकृतिक पिता श्री धोंकल की विरासत मे किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही था, जिस कारण से स्व० श्री प्रभात के उक्त तथाकथित वारीसान रेस्पोडेन्टस का भी उक्त सम्पति पर किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है इसलिए भी अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त सम्पत्ति के संबंध में पक्षकारान के मध्य विवाद चल रहा था तथा विवादित नामान्तकरण को तस्दीक करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है। इसलिये अपीलाधीन नामान्तकरण अधिकार क्षेत्र के बाहर होने के कारण प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्टस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण को खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। प्रस्तुत ट्रेक रिपोर्ट अनुसार सभी पक्षकारान की तलबी पूर्ण पायी गई।

अपीलाट की ओर से न्यायिक दृष्ट्रांत भंवर लाल बनाम किशन आरआरडी 1984, छतरा बनाम सांवर लाल आरआरडी 1984, सरमन बनाम जवाहरलाल वगै0 आरआरडी मार्च 2006, रिछपाल बनाम स्टेट ऑफ राज0 आरआरडी 1984, रावट मान सिंह बनाम स्टेट ऑफ राज0 आरआरडी 1984, इंदिरा बाल विद्या मंदिर बनाम स्टेट ऑफ राज0 आरआरडी 1984 पेश किये गये।

रेस्पोडेंट्स की ओर से न्यायिक दृष्ट्रांत आरआरटी 2006–07(Supp.) पेज 466 सूरजभान व अन्य बनाम श्री पी.के. बालासुभ्रमन्यन, आरआरटी 2006–07(Supp.) पेज 582 लच्छीराम व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आरआरटी 2008(2) पेज 936 कैलाश चन्द बनाम छोटी व अन्य पेश किये गये।

उपस्थित अपीलाण्ट विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः अपील अपीलान्ट् न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 207 दिनांक 27.09.2012 ग्राम पंचायत कांट, तहसील आमेर, जिला जयपुर को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को प्रकरण प्रति प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है

उप खण्ड अधिकारी
आमेर जयपुर

कि उक्त क्रम में पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत एवं गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

आदेश आज दिनांक 16.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बजरंग लाल स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर